न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 30/2019

श्री शौकत अली पुत्र श्री मांगू खां जाति लुहार मुसलमान निवासी ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसागंन जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम गच्छीपुरा जिला नागौर

......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन जिला अजमेर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वर सिंह – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 29.05.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–अ रा0 का0 अधिनियम 1955 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसागन के खाता संख्या 972 खसरा नम्बर 1604 व 1608 कुल किता 02 रकबा 0.74 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने के लिये खसरा संख्या 1603 से होकर जाना पडता है जो कि आज वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरकारी काबिल काश्त भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 1603 से सटता हुआ एक रास्ता ग्राम पीसागंन की सीमा में है जिसके की खसरा सख्या 957/5352 , 954/5351 एंव 1005 गैर मुमकिन रास्ता है। प्रार्थी अपनी खरीदशुदा आराजी का औद्योगिक संपरिवर्तन करा उस पर निर्माण करना चाहता है। परन्तु प्रार्थी को आने जाने का रास्ता नहीं होने से मुख्य सडक से खसरा संख्या 1603 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत तक की लम्बाई में कीमतन रास्ता चाहता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पीसागंन के खसरा संख्या 957/5352 गै.मु. रास्ते से खसरा संख्या 1603 में से 30 फिट चौडा कीमतन रास्ता स्वीकृत करके राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त रास्ते को दर्ज करे।

जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीसागंन से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के लिये सबसे नजदीक है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 3 (52) राज– 6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार अगर कोई खातेदार काश्तकार सरकारी सिवायचक आराजी से रिकार्डेड रास्ता चाहते हैं तो रास्ते की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रचलित डी.एल.सी. से दुगूनी राशि राजकोष में जमा करवाकर रास्ता प्राप्त कर सकता है। तहसील राजस्व लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त हुयी कि उक्त रास्ते के एवज में रास्ते में चाही गयी आराजी के लिये डी.एल.सी. से दोगुनी राशि 105638/– अक्षरे एक लाख पांच हजार छः सौ अडतीस रूपये मात्र की राशि राजकोष में जमा कराया जाना उचित है। प्रार्थी ने राशि 105638/– अक्षरे एक लाख पांच हजार छः सौ अडतीस रूपये राजकोष में जमा करा कर चालान पेश किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते है कि ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसागंन के खसरा संख्या 1603 में से 30 फिट चौडा रास्ता वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव नक्शे में रास्ते का अकंन किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 29.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2019.11.29 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: